Reg. No. COOP/2023/JAIPUR/205481

कम्प्यूटर अनुदेशक संघ, राजस्थान

E-mail:-computeranudeshaksangh@gmail.com Mobile No:- 8058229289, 6378149767, 9251697310

सेवा में, दिनांक:-

विषय:- शिक्षा विभाग राजस्थान में कार्यरत **वरिष्ठ एवं बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक का पदनाम परिवर्तित एवं कैडर विस्तार करवाकर वेतन विसंगति दूर** करवाने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर विज्ञान विषय का अध्यापन कार्य करने के लिए वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक व बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक नियुक्त है, जिनके कार्य अन्य शिक्षकों की भांति कंप्यूटर विज्ञान विषय का अध्यापन करवाने का है, लेकिन इनका वेतन और कैडर अन्य शिक्षकों की भांति नहीं है।

अतः कम्प्यूटर अनुदेशक कैडर की पुनः समीक्षा करवाकर निम्नानुसार संशोधन एवं विस्तार करवाया जाये-

1. सभी कंप्यूटर अनुदेशकों को सामान्य शिक्षकों की भांति ही **कम्प्यूटर शिक्षक पदनाम** दिया जाये, यथा **वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक कक्षा 11 एवं 12** को विद्यालय में कार्यरत अन्य व्याख्याताओं की ही भांति कंप्यूटर विज्ञान विषय के वैकल्पिक विषय पढ़ाते है अतः इनका पद नाम भी **व्याख्याता (कंप्यूटर विज्ञान)** किया जाये तथा उसी अनुरूप वेतन दिया जाए, इनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन (M.Tech, MCA, MSC (CS, IT)) रखी गई जो कि व्याख्याता पद की शैक्षणिक योग्यता के समान है।
2. इन्हीं की भांति **बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक अपने विद्यालयों में अन्य वरिष्ठ अध्यापकों की भांति कक्षा 9 & 10** को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विषय पढ़ाते है अतः इनका पद नाम **वरिष्ठ अध्यापक (कंप्यूटर विज्ञान)** किया जाये तथा उसी अनुरूप वेतन दिया जाए। निदेशक महोदय, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने 21.03.2022 को हुई बैठक में निर्णयानुसार **कम्प्यूटर विज्ञान में B.Ed को योग्यता से ठीक उसी प्रकार मुक्त रखा गया है जिस प्रकार अन्य विषय जैसे संगीत, चित्रकला, क्राफ्ट का अध्यापन करवाने वाले व्याख्याताओं एवं वरिष्ठ अध्यापकों को रखा गया है।**
3. वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप कंप्यूटर विज्ञान विषय समस्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अन्य विषयों की भांति ही **कंप्यूटर विज्ञान विषय अनिवार्य** किया जाये तथा उसी अनुरूप कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजित किये जाये तथा **कैडर विस्तार करतें हुए सामान्य शिक्षकों की ही भांति पदोन्नति के लाभ** प्रदान किए जाएं।

अतः महोदय जी से निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित बिंदुओं पर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए उचित कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

निवेदक

समस्त वरिष्ठ एवं बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक राजस्थान